"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जून 2012—आषाढ़ 7, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2012/वाक/पांच (33).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 60 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2006/वाक/पांच (46) दिनांक 28-04-2006 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को "औद्योगिक आगत" की सूची में जोड़ा जाता है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
85	इन्सर्ट
86	डोलाचार
87	आयरन ओर पिलेट (ब्रिकेट)
88	कोक एवं कोल ब्रिकेट
89	मक्का के प्रोडक्ट

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2012

क्रमांक एफ-10/26/2012/वाक/पांच (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2012/वाक/पांच (33), दिनांक 28-06-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th June 2012

NOTIFICATION

No. F-10/26/2012/CT/V (33).—In notification No. F-10-56/2006/CT/V (46) dated 28-04-2006 issued by the State Government in pursuance of the requirement under entry 60 of part-II of Schedule-II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the goods specified in the Schedule below are added as "Industrial Input", namely,—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
85	Insert
86	Dolochar
87	Iron ore pellet (briquette)
88	Coke and coal briquette
89	Product of Maize

2. This notification shall come into force from the date of publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.